प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. **अपर निदेशक**
प्रारम्भिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

2. **अपर निदेशक**
प्रारम्भिक शिक्षा
कुमाऊं मण्डल नैनीताल

पत्रांकः सेवायें–3(4)/ 20377-78/2014–15 दिनांक 30 जनवरी 2015

विषयः– **दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2013 तक कनिष्ठ लिपिक पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक सेवाएं–3 (4)/11185–90/2014–15 दिनांक 18 सितम्बर 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा लिपिक संवर्ग सेवा में दिनांक 31.12.2005 तक नियुक्त कार्मिकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रेषित की गयी थी। आप द्वारा प्राप्त अभिलेखों के आधार पर उक्त सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

निदेशालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको यह भी निर्देश दिये गये थे कि उक्त सूची के पश्चात दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2013 तक कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची तैयार की जानी है, अतः उक्त के सम्बन्ध में पूर्ण तैयारी रखें। इस सम्बन्ध में निर्देशित करना है कि कृपया अपने मण्डल में दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2013 तक कनिष्ठ लिपिक पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों का विवरण निम्न प्रारूप पर 28 फरवरी 2015 तक हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 में उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

क0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	गृह जनपद/जन्म तिथि	भर्ती का स्रोत	कनिष्ठ सहायक पद पर मौलिक नियुक्ति तिथि	वर्ग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इस संम्बन्ध में ज्येष्ठता सूची तैयार करने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं–

1. कार्मिकों के नाम उनके नियुक्ति आदेश जिस कम में निर्गत किये गये हों अथवा नियुक्ति आदेश में जिस कम में अंकित हों उसी कम में रखें जायं। जो कार्मिक समूह 'ग' के माध्यम से चयनित हुए हैं, उनका ज्येष्ठता कम वही रखा जाय जैसा कि चयन सूची में हो।
2. सूची को तैयार करते समय आपके जनपद के किसी भी कार्मिक का नाम छूटने न पाये। आपके जनपदीय कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों से जो कार्मिक प्रतिनियुक्ति आधार पर विभाग से बाह यथा सर्व शिक्षा अभियान/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान/साक्षरता/अन्य किसी विभाग में कार्यरत हों, का नाम यथा स्थान अंकित करते हुए अभ्युक्ति कॉलम में इस आशय का उल्लेख कर दिया जाय।

3. भर्ती के स्रोत के अन्तर्गत सीधी भर्ती/प्रोन्नति/प्रान्तीयकृत/बेसिक शिक्षा परिषद से राजकीयकृत अथवा अन्य कोई स्रोत हो, उसे अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।
4. ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति विकलांग अभ्यर्थी के रूप में हुई हो, के नियुक्ति पत्र की अंकना के आधार पर उनके नाम के नीचे मोटे अक्षरों में विकलांग अंकित किया जाय।
5. जिन कार्मिकों का चयन आरक्षित श्रेणी 'क' अनूसूचित जाति 'ख' अनुसूचित जनजाति 'ग' पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत हुआ हो, के नाम के नीचे उनकी श्रेणी अवश्य अंकित की जाय।
6. बेसिक शिक्षा परिषद से राजकीयकृत कार्मिकों का विवरण पृथक से दिया जाय, जिसमें उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि, वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्य करने की तिथि एवं मुख्य सहायक पद पर कार्य करने की तिथि भी दी जाय।

कृपया उक्तानुसार सूचना/अभिलेख दिनांक 28 फरवरी 2015 तक बिना स्मरण पत्रकी प्रतीक्षा किये निदेशालय को उपलब्ध करा दिये जायं।

भवदीय

(आशा रानी पैन्यूली)
अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड